दिनांक 30.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 31/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहदाना रेलवे ग्राउण्ड से 05 अभियुक्तों 1–राशिद 2–इशरत उर्फ बबलू 3–अजय 4–शिवशंकर 5–शमशेर उर्फ शेर को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 10 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना बारादरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 831/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी बिहारमान नंगला थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

2–इशरत उर्फ बबलू निवासी बिहारमान नंगला थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

3–अजय निवासी बालाजी धाम कालोनी बदायूं रोड थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

4–शिवशंकर निवासी फर्रकपुर कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

5–शमशेर उर्फ शेर निवासी बिहारमान नंगला थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट के 10 हजार रूपये नगद।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 कार्टून सिगरेट**
- **07 लाख 85 हजार रूपये नगद**
- **02 कार आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 08 अभियुक्तों 1–समीर 2–आमिर 3–लक्ष्य 4–बबलू 5–नसीम 6–मुकेश कुमार 7–पवन 8–नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 कार्टून सिगरेट, 07 लाख 85 हजार रूपये नगद, 02 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिनके द्वारा आनन्द इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित सिगरेट गोदाम से ब्रान्डेड सिगरेट के कार्टूनो कर आधे दामों पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर निवासी प्रेमगली, संजय कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

2–आमिर निवासी संजय कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

3–लक्ष्य निवासी गली नं0–1 हर्ष बिहार थाना हर्ष विहार, दिल्ली।

4—बबलू निवासी गली नं0—1 कैलाश नगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

5—नसीम निवासी गली नं0—1 कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

6—मुकेश कुमार निवासी लोहिया नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद।

7—पवन निवासी युवराज कालोनी ककौड थाना ककौड जनपद बुलन्दशहर।

8—नीरज निवासी प्रेमनगर गऊशाला रोड थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 कार्टून (गत्ते) मालब्रो बाण्ड की सिगरेट।

2—07 लाख 85 हजार रूपये नगद।

3— 02 कार आदि।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना सिंधोरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 हजार रूपये नगद**
- **22 एटीएम कार्ड**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2021 की रात्रि थाना सिंधोरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यूनियन बैक एटीएम के पास से एटीएम बदल कर पैसे निकालने वाले 02 अभियुक्तों 1—शुभम 2—सूरज को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 हजार रूपये नगद, 22 एटीएम कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लोगो के एटीएम बदलकर धोखे से पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना सिंधोरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शुभम निवासी लसड़ा खुर्द थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

2—सूरज निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—07 हजार रूपये नगद।

2—22 एटीएम कार्ड।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना चिलुआताल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विश्वभारती इण्टर कालेज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 291/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिलुआताल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सूरज निवासी हरैया पिड़ारी पूर्वी थाना महुली जनपद संतकबीर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई</u>

- **05 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली उरई क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1—राजेश 2—बृजकिशोर 3—मनीष कुमार 4—रितिक 5—नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो वाहन चोरी करके जनपद के आस—पास क्षेत्रों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजेश निवासी व्यासपुरा थाना जलौन जनपद जालौन।

2—बृजकिशोर निवासी बरहा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

3—मनीष कुमार निवासी बरहा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

4—रितिक निवासी कुशमी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

5—नरेश निवासी मोहल्ला गॉधीनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1—चोरी की 13 मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंधेड़ी से शामली की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1—आकाश 2—लविश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

2—लविश निवासी चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी की अफीम आदि बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेहरा तिराहे के पास से मादक पदार्थ तस्कर मुन्नपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी की अफीम आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुन्नपाल निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी की अफीम आदि।

जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 नाल**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना बेनीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटिघरा के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–रहमत अली 2–अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 नाल, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रहमत अली निवासी मोहल्ला अहिरन टोला कस्बा व थाना बेनीगंज जनपद हरदोई।

2—अनिल कुमार निवासी भगवन्तापुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—04 नाल।

3—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

  जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे (पॉक्सो) जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/376/201 भादवि में अभियुक्त कैलाश को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 08 सीतापुर द्वारा थाना खैराबाद पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त छोटक्के को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना पिसावॉ(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे–4, सीतापुर द्वारा थाना पिसावॉ पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/452 भादवि व 25 (1–बी)आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1–लल्लन 2–गिरीश 3–धर्मेन्द्र 4–छंगा को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना अटरिया(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 06, सीतापुर द्वारा थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304 बी/498ए/323 भादवि व 4 डीपी एक्ट में अभियुक्त प्रवेश यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना सदरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 16(पॉक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा थाना सदरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राजकुमार को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0– अन्तर्राज्यीय स्तर पर ट्रकों के इंजन नंबर व चेसिस नंबर को कई बार बदलकर व उनके फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग 02 सदस्यों को सात अदद फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले ट्रक व उनसे सम्बंधित कूटरचित कागजातों व इंजन व चेसिस नंबर की प्लेटों के साथ गिरफ्तार किया गया।</u>

दिनांक 29–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर ट्रकों के इंजन नंबर व चेसिस नम्बरों में हेराफेरी कर अवैध लाभ अर्जित करने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़कर उनके कब्जे से सात अदद फर्जी रजिस्ट्रेषन वाले ट्रक व कई फर्जी कागजात बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हुई ।

गौतम सिंह पुत्र भानुप्रताप सिंह निवासी ग्राम रामनगर पोस्ट बेवर थाना बेवर जनपद मैनपुरी उम्र करीब 32 वर्ष हालपता नियर गीतांजलि स्कूल ट्रान्स यमुना फेज 2 आगरा।

1. राघवेन्द्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी मकान नंबर एफ 346 ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः</u>

1. 07 अदद ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रमशः 1-RJ14GN2230, 2-RJ14GN2231, 3-RJ14GN1185, 4-RJ14GN1186, 5-RJ14GN1187, 6-RJ29GA7543

7-RJ11GB5407

2. फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र क्रमशः RJ14GN2230, RJ14GN2231, RJ14GN2225, RJ14GN2232.
3. 03 अदद इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर की एलुमिनियम की पट्टी जिस पर इंजन नंबर व चेसिस नम्बर टंकित है।
4. 03 अदद मोबाइल फोन।
5. दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
6. 01 अदद वाहन संख्या यूपी 14 सीक्यू 0303 हुंडई क्रेटा।
7. एक अदद आधार कार्ड।
8. 03 अदद एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड।
9. रुपये 2100 नगद।
10. 01 अदद लुमिनस इन्वर्टर

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–</u>

दिनांक 29–09–2021 को समय करीब 20:35 बजे शाहदरा चुंगी, बजरंग पेट्रोल पम्प के पास स्थित गिरीश अग्रवाल के हाते में स्थित पार्किंग से।

अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, उत्तर प्रदेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, उत्तर प्रदेश द्वारा एसटीएफ मुख्यालय एवं समस्त यूनिटों को ट्रकों के रजिस्ट्रेशन आदि में हेराफेरी करने वाले गिरोहों के सम्बन्ध में आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, इसी क्रम में मुख्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम उपनिरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में गठित कर अभिसूचना संकलन एवं सुरागरसी पतारसी की जा रही थी।
अभिसूचना संकलन एवं सुरागरसी पतारसी के दौरान मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुयी कि आगरा जनपद के एत्माददौला थानान्तर्गत शाहदरा चुंगी स्थित गिरीश अग्रवाल के हाते में कुछ लोगों द्वारा विभिन्न प्रान्तों व उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों से ट्रकों को ले आकर हाते में खड़ा करके उनके इंजन नंबर व चेसिस नंबर मिटाकर उनकी जगह दूसरे

इंजन नंबर चेसिस नंबर की पट्टी लगा दिए जाते हैं व ट्रकों के फर्जी कागजात हाते के अन्दर ही दलालों की मदद से तैयार किये जाते है आज गैंग के कुछ सदस्य हाते में खड़े ट्रकों के इंजन नंबर व चेसिस नम्बर बदल रहे हैं एवं फर्जी कागजात तैयार कर रहे हैं। मुखविर की इस सूचना पर विश्वास करके स्थानीय थाने के प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया गया, जो थाने के पुलिस बल के साथ मौके पर आ गये संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी व एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा।

उपरोक्त अभियुक्तों से पूछताछ करने पर गौतम सिंह द्वारा बताया गया कि हम लोगों का यह फर्जीवाडा करने वाला एक गिरोह है जिसमें चंद्रशेखर, विकेंद्र उर्फ़ विजेंद्र उर्फ़ बीके ठाकुर, जमील, बच्चू बाडीवाला, बनवारी, राजेश कबाड़ी, पप्पू चश्मा वाला, सुरजीत कबाड़ी, राघवेन्द्र सिंह हैं। हम लोग गिरीश अग्रवाल के हाते की पार्किंग में विभिन्न प्रान्तों एवं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ट्रकें अपने सहयोगियों के माध्यम से जिनकी लोन की किश्तें डिफ़ॉल्ट हो चुकी होती हैं उन्हें कम दामों में खरीदकर लाकर हाते में खड़ी करते हैं तथा उन गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जयपुर, राजस्थान के आरटीओ दलालों के माध्यम से तैयार कराकर ट्रकों पर अंकित मूल चेसिस नम्बर को मिटाकर उनके स्थान पर दूसरा चेसिस नम्बर टंकित करा देते हैं व इंजन नंबर व डैशबोर्ड पर लगने वाली मूल पट्टी को को निकालकर उनके स्थान पर नसीम द्वारा फर्जी रूप से तैयार की गयी पट्टी को इंजन व डैशबोर्ड पर लगवा देते हैं, जिससे कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व गाडी के इंजन व चेसिस नंबर एक से हो जाएँ इसके बाद हम लोग इन गाड़ियों पर फर्जी तरीके से लोन व इन्श्योरेंस कराते हैं यह फर्जीवाडा अनवरत चलता रहता है हम लोग एक ही ट्रक का कई बार इंजन व चेसिस नंबर बदलकर लोन व इन्श्योरेंस कराकर अवैध रूप से धनार्जन करते हैं व कुछ समय पश्चात किस्त डिफॉल्ट करके उन गाड़ियों का चोरी का मुकदमा लिखवाकर उनका इंजन व चेसिस बदलकर पुनः नया लोन करा लेते हैं।

अपराध कारित करने का तरीका–

इस गैंग द्वारा पहले विभिन्न स्थानों पर जाकर उन ट्रकों की तलाश की जाती है जिनकी लोन की किश्तें डिफॉल्ट हो चुकी होती हैं, ऐसी ट्रकों को ये लोग सस्ते दामों में खरीद कर इनकी चोरी की एफआईआर थाने से या न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 156(3) द्वारा दर्ज कराकर उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व इंजन तथा चेसिस नम्बर की पट्टियाँ बनाकर उनपर पुनः लोन व इन्श्योरेंस कराया जाता है जैसा कि बरामद ट्रक **RJ14GN2230** जिसका मूल नम्बर **MP07HB5157** है के चोरी होने की एफआईआर थाना डौकी, जनपद आगरा में दर्ज कराकर पहले रजिस्ट्रेशन नम्बर **HP38G0968** का फर्जी प्रपत्र तैयार कर उसका इंजन व चेसिस नंबर लगाया गया पुनः उसी ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ14GN2230** का फर्जी प्रपत्र एवं इंजन चेसिस नंबर की पट्टियाँ बनाकर बदला जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा में दाखिल करके अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैंको से धोखाधड़ी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/यू0पी0आई0/ए0टी0एम0 कैश विड्राल के माध्यम से करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्त जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार।

दिनांकः 29–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैंकों से धोखाधडी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/यू0पी0आई0/एटीएम कैश विड्राल के माध्यम से करोडों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. मो0 शरीफ उर्फ राहुल पुत्र सत्तार खान निवासी डी–363, विकास कुन्ज दुर्गा मंदिर वाली गली थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्रा0 पलसेरा थाना पिसांवा जनपद अलीगढ़।
2. सुमित चौहान उर्फ सुमित पुत्र रूप सिंह उर्फ पोप सिंह निवासी डी–2831, विकासकुन्ज नियर दुर्गा मंदिर, नारायण मैरिजहाल, थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

3. अंकुश गॉधी पुत्र रमेश गॉधी निवासी नेहरू कालोनी एनआईटी थाना ढ़बुआ जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी–

1. 13 अदद एटीएम कार्ड।
2. 03 अदद मोबाइल।
3. 01 अदद लैपटाफ
4. 03 अदद आधार कार्ड (कूटरचित एक ही आधार नम्बर पर राहुल कुमार व मो0 शरीफ नाम से)
5. 02 अदद पैनकार्ड।
6. 02 अदद पासबुक।
7. 01 अदद चेकबुक।
8. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
9. 08 पेज विभिन्न बैंकों के बैंक खातों से सम्बन्धित दस्तावेज।
10. 01 अदद कोरियर पैकेट।
11. रू0 1080/ नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान व समयः–

दिनांकः 29.09.2021, **स्थानः** जी0डी0ए0 फ्लैट टीलागॉव निकट भारत सिटी जनपद गाजियाबाद व **समयः** 14:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत काफी समय से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधडी कर आर0टी0जी0एस0/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/यू0पी0आई0/ एटीएम कैश विड्राल के माध्यम से ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि स्वाती अग्रवाल मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा इस्माईलगंज, लखनऊ ने थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि पंजीकृत कराया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्वाती अग्रवाल, मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ के पद पर माह मई 2021 में ज्वाइन किया। दिनांक 05–07–2021 को बैक के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह ने फोन कर बताया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ में निवान बाला जी आटो मूवर्स प्रा0लि0 के नाम से चालू खाता है, जिसके प्रबन्धक श्री नवनीत पाण्डेय है, वह आपको काल करेंगें और बैंक से सम्बन्धित कार्य हेतु कहेंगे। इसके कुछ देर बाद स्वाती अग्रवाल को एक फोन काल आया, काल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत पाण्डेय बताया, ट्रू कालर पर काल करने वाले का नाम नवनीत पाण्डेय डायरेक्टर, किया मोटर्स दिखा रहा था। काल करने वाले व्यक्ति द्वारा यह निवेदन किया गया कि तत्समय वह अस्पताल में है उसके कुछ कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है, जिनको तत्काल पैसों की आवश्यकता है, खाते की चेकबुक समाप्त हो गयी है, बैंक द्वारा उनका सहयोग नही किया गया तो वह उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। इसके उपरान्त काल करने वाले व्यक्ति द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से 02 पत्र भेजे गये जो निवान बाला जी आटो मूवर्स के लेटर हेड पर थे तथा निवान बाला जी आटो मूवर्स के रबड़ स्टाम्प के साथ प्रबन्ध निदेशक नवनीत पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित भी थे, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनके 04 कर्मचारियों के बैंक खातों को एड़ कर तत्काल क्रमशः रूपये 570419/–,

893000/—, 480000/—, 750427/—, 626590/— आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रान्सफर कर दिये जायें। स्वाती अग्रवाल द्वारा प्राप्त लेटर हेड का बैंक में उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कराकर कोविड—19 महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों पत्रों में अंकित राशि खाता धारकों के खातों में शाखा द्वारा कुल रूपये 33,20,436/— (तैंतिस लाख बीस हजार, चार सौ छत्तीस) ट्रान्सफर कर दिया गया। जिसके उपरान्त बाला जी आटों प्राइवेट लि0 द्वारा उनके बैंक खाते से रूपये कटने की बात की गयी, जिसपर बैंक द्वारा बताया गया कि आपके प्रबन्ध निदेशक द्वारा 02 पत्र भेजकर रूपये ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। इसपर श्री नवनीत पाण्डेय ने बताया कि न उन्होने कोई फोन किया है और न ही कोई लेटर भेजा है। किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर कूटरचित लेटर भेज कर उपरोक्त धनराशि उनके बैंक खाते से ट्रासफर करायी गयी है।

साइबर क्राइम टीम द्वारा उप निरीक्षक श्री पंकज सिंह के नेतृत्व मे उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित की गयी एवं मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 29—09—2021 को समय करीब 14:30 बजे साइबर क्राइम टीम एस0टी0एफ0 मुख्यालय व थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा जी0डी0ए0 फ्लैट टीलागॉव निकट भारत सिटी जनपद गाजियाबाद से उपरोक्त ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मो0 शरीफ उर्फ राहुल ने बताया कि मैं वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक वह सिटी बैंक के बैक आफिस, कनाट प्लेस दिल्ली में चेक रिसेप्सनिश्ट के पद पर कार्यरत था। मुझे बैंकिंग की पूर्ण जानकारी है। कोविड—19, महामारी के कारण मेरी नौकरी छूट गयी और मै बेरोजगार हो गया। मोटा रूपया कमाने की लालच में मैंने अपनी ही कालोनी के रहने वाले सुमित चौहान व प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैकों में गलत नाम पते पर आनलाइन वीडियों के0वाइ0सी0 वाले एकाउन्ट खोलकर मार्केट से विभिन्न बड़ी कम्पनियों के बैंक खातों का डेटा प्राप्त कर धोखाधड़ी कर उन एकाउन्टों में रूपये ट्रान्सफर करा लेगें व एटीएम/यूपीआई के माध्यम से सारे रूपये निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने विभिन्न बैंकों में गलत नाम पते से लगभग 02 दर्जन खाते खोले, कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर मैंने अलग—अलग लोगों के नाम से सिमकार्ड भी खरीदा इसके बाद मैंने विभिन्न बैंको से 05 बार रूपया अपने खातों में कूटरचित लेटरहेडों के माध्यम से ट्रान्सफर करा लिए। मैं जो बैंक खाता खोलता था उसकी मोबाइल बैंकिंग बनाकर मोबाइल बैंकिंग एप के माध्यम से, खातों में जो भी रूपये आते थे तत्काल कई छोट—छोटे टुकडों में एक एकाउन्ट से दूसरे एकाउन्ट/यूपीआई (लगभग—15 से 20) में ट्रान्सफर कर ए0टी0एम0 कैश विड्राल व यूपीआई से कैश में निकलवाकर बांट लेते थे। अंकुश गॉधी, सुमित चौहान, प्रदीप शर्मा व मैं एटीएम व यूपीआई से कैश निकालने का काम करते थे। हम लोगों ने अपनी कालोनी से 2—3 कि0मी0 दूर जीडीए फ्लैट टीला गॉव में यह फ्लैट इसी काम के लिए ले रखा था, जिससे पुलिस हमे खोज न सके। आज हम लोग यहॉ पर अंकुश गॉधी के नाम पर फर्जी पते पर खोले गये 10 बैंक खातों की वीडियों के0वाई0सी0 करने के लिए बातचीत कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये विभिन्न बैंको के खातों को फ्रीज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गाजीपुर कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह से 250 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये) व इनोवा कार बरामद।

दिनॉकः 30–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी हेतु प्रयोग में लायी जा रही इनोवा कार नं0-MH-01-JA-8416 (कूटरचित नम्बर प्लेट) से 250 किलोग्राम **(अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)** मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>बरामदगी</u> :–

1–250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा)।
2–एक अदद इनोवा कार नं0–MH-01-JA-8416 (कूट रचित नम्बर प्लेट) ।
3–एक अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक 30.09.2021 समय 05:10 प्रातः, साजी का पूरा, काटन मिल चौराहा, थाना क्षेत्र नैनी, जनपद प्रयागराज।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 30–09–2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि मोबाइल नम्बर 9696535936 व 8810713848 के धारक अवैध मादक पदार्थों की व्यापक तस्करी का काम करते है, जो आज आन्ध्र प्रदेश राज्य से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप लेकर इनोवा कार से जनपद प्रयागराज के रास्ते प्रतापगढ़ जाने वाले है। मुखबिर की इस सूचना की पुष्टि हेतु इलेक्ट्रानिक संसाधनों का भी उपयोग किया गया तो उक्त सूचना सही पायी गयी। इस सूचना पर उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, धर्मेन्द्र सिंह, मु0 आरक्षी विकास तिवारी, आरक्षी हबीब सिद्दीकी, पंकज तिवारी, सुनील कुमार व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की एक टीम प्रयागराज–रीवा राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करों की गिरफ्तारी की प्रत्याशा में इन्तजार करने लगी। कुछ देर इन्तजार करने के उपरान्त रीवा, म0प्र0 की तरफ से मुखबिर द्वारा बतायी गयी इनोवा कार आती हुई दिखाई दी, जिसे एस0टी0एफ0 टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो रूकने के बजाय इनोवा कार चालक और तेज गति से कार को चलाता हुआ लेप्रोसी चौराहे से जेल रोड की तरफ भागा। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त वाहन का लगातार पीछा किया जाता रहा। इनोवा चालक व उसमें बैठे तस्करों द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इनोवा को साजी का पूरा, काटन मिल चौराहा के पास एक मकान की दीवार में टक्कर मार दिया गया। पिछा कर रही एस0टी0एफ टीम द्वारा क्षतिग्रस्त इनोवा तक पहुँचने में इनोवा चालक व उसमें बैंठे अन्य तस्कर अन्धेरा व संकरी घनी गलियों के होने का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। बरामद क्षतिग्रस्त इनोवा कार के पीछे की सीट व डिग्गी से उपरोक्त बरामदगी हुई।

क्षतिग्रस्त इनोवा कार को स्थानीय कार मैकेनिक से चलने लायक बनवाकर थाना नैनी, प्रयागराज में पहुँचाया गया।

बरामद अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) व इनोवा कार को थाना नैनी, जनपद प्रयागराज में दाखिल कर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध धारा—419/420/465/467/468 भादवि व 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————